ग्राहक जानकारी ब्रॉशर

- **''बचत खाता''** उन व्यक्तियों /संस्थाओं के लिए एक ऑपरेटिव बैंकिंग खाता है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बचत खाता खोलने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी गई है। कुछ विशेष ग़ैर लाभकारी कल्याण संगठनों को भी बैंकों में बचत खाते खोलने की अनुमति होती है। बचत खाते में शेष राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज़ का भुगतान किया जाता है। बचत खाता खोलने के पात्र व्यक्तियों, इकाईओं में आवासी और प्रवासी भारतीय व्यक्ति, न्यास, सोसायटियां, कम्पनी अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत कम्पनियां शामिल हैं। कुछ विशेष सरकारी इकाइयां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कुछ विशेष शर्तें पूरी करने पर बचत खाता खोल सकती हैं।
- **''चालू खाता''** यह एक ऑपरेटिव बैंकिंग खाता होता है जिसका इस्तेमाल सभी पात्र इकाइयां कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू खाते में रखी गई शेष राशि पर किसी ब्याज़ का भुगतान नहीं किया जाता है।
- **''फिक्स्ड डिपॉजिट''** यह नियत अवधि के लिए बैंक को प्राप्त एक जमा राशि होती है । ब्याज़ का भुगतान राशि जमा करने के समय नियत की गई दर पर किया जाता है। फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में तिमाही जमा राशि, मासिक जमा राशि और संचयी जमा राशि जैसी जमा राशियां शामिल हैं। सभी इकाइयां फिक्स्ड डिपॉज़िट्स खाता खोलने के लिए पात्र हैं, जब तक कि कानून या नियामक संवैधानिक दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो।
- **''आवर्ती जमा''** यह ऐसी जमा राशि होती है जिसमें नियमित आय वाले लोग अपने आवर्ती जमा खाते में प्रत्येक माह एक नियत राशि जमा कर सकते हैं और फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर देय ब्याज़ दर से ब्याज़ पा सकते हैं। यह मासिक किस्तों में, जैसे प्रत्येक माह १000/- रुपये की विशेष राशि की फिक्स्ड डिपॉज़िट्स करने जैसा है। यह जमा राशि प्रत्येक माह अदा की गई सभी किस्तों के साथ भविष्य में किसी विशिष्ट तिथि को बैंक द्वारा देय हो जाती है। इस प्रकार आवर्ती जमा स्कीम से ग्राहकों को एक नियत समयावधि में नियत राशि की नियमित मासिक जमा राशियों से अपनी बचत बढ़ाने का अवसर मिलता है।
- अपने वित्तीय समावेशन प्रयास के भाग के रूप में हमारा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन बैंकिंग सेवाओं की सुलभता के मौजूदा दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अपनी सभी शाखाओं में ''मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)'' एवं ''लघु खाता'' खोलता है। इसके अलावा, विनियमों के अनुसार बीएसबीडीए एवं लघु खाते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

पैरामीटर	**बीएसबीडीए**	**लघु खाता**
केवाईसी आवश्यकताएं	•सम्पूर्ण केवाईसी	•रियायत प्राप्त केवाईसी
विशेषताएँ	• न्यूनतम शेष रखना आवश्यक नहीं • नकद जमा – बुनियादी बचत खाता के लिए महीने में अनुमत जमाराशियों की संख्या और मूल्य की कोई सीमा नहीं है। • रुपे डेबिट कार्ड का वार्षिक शुल्क – कुछ नहीं • एक माह में शाखा से ५ बार निःशुल्क आहरण • कोटक और गैर-कोटक एटीएम से महीने में ५ निःशुल्क लेनदेन • निःशुल्क - एक वित्तीय वर्ष में ५ पन्नों की एक चेक बुक • निःशुल्क फोन बैंकिंग • फंड ट्रांसफर (नेटबैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से) – निःशुल्क	• न्यूनतम शेष रखना आवश्यक नहीं • कितनी ही बार निःशुल्क लेनदेन के साथ नकद जमा परन्तु यह लेनदेन एक वित्त वर्ष में अधिकतम १ लाख रुपये है। • रुपे डेबिट कार्ड का वार्षिक शुल्क – कुछ नहीं • एक माह में शाखा से ४ बार निःशुल्क आहरण • गैर कोटक एटीएम में ४ बार निःशुल्क लेनदेन • फोन बैंकिंग उपलब्ध नहीं है • मोबाइल बैंकिंग उपलब्ध नहीं है

प्रतिबंध / सीमाएं	• बीएसबीडीए ग्राहक केवल रुपे डेबिट कार्ड के पात्र हैं। • ऐसे सभी लेनदेन किए जा सकते हैं जिनकी अन्य बचत खाते के अन्तर्गत अनुमति है। • बीएसबीडीए धारक एक ही समय में बैंक में कोई दूसरा बचत खाता नहीं खोल सकता। हालाँकि, वह सामान्य बचत खाता में अपग्रेड कर सकता है। • यदि मौजूदा बचत खाता धारक बीएसबीडीए खोलता है तो इसे बीएसबीडीए खोलने के ३० दिन के अन्दर मौजूदा बचत खाता बंद करना होगा।	• छोटे खाते वाले ग्राहक केवल रुपे डेबिट कार्ड के पात्र हैं। • एक वित्त वर्ष में सभी जमा की गई राशि १००,०००/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए • खाता शेष ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए • एक माह में सभी जमा की जाने की राशि १०,०००/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए • ₹१०,००० से ज़्यादा के चेक अस्वीकृत और वापस कर दिए जाएंगे। • विदेशी मुद्रा में लेनदेन की अनुमति नहीं है। • लघु खाताधारक, बैंक में एक साथ अतिरिक्त अन्य बचत खाता नहीं खोल सकता। लेकिन केवाईसी की अपेक्षा पूरी करने पर वह अपने खाते के दर्ज़ को बढ़ाकर बीएसबीडीए /अन्य बचत खाता कर सकता है। • यदि मौजूदा बचत खाता धारक लघु खाता खोलता है तो इसे लघु खाता खोलने के ३० दिन के अन्दर मौजूदा बचत खाता बंद करना होगा।

- बैंक, कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र के आधार पर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता से ग्रस्ति व्यक्तियों के खाते खोलता है। यह प्रमाण पत्र मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम १९८७ के अन्तर्गत जिला न्यायालय या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांग व्यक्ति अधिनियम, १९९९ के संबंध में राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे खाते खोलने हेतु अपेक्षित प्रमाण पत्र के लिए कानूनी अभिभावक, स्थानीय स्तर की समितियों में जा सकते हैं। स्थानीय स्तर की समिति का पता राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट http://www.thenationaltrust.in से या आपके निकटतम शाखा से लिया जा सकता है। आगे ऐसे व्यक्तियों के खाते किसी कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र के बिना भी खोले जा सकते हैं जो कि ग्राहक की ओर से इस सत्यापन के अधीन होगा कि वह अपने आर्थिक विषयों की सार-संभाल स्वयं करने में सक्षम है या कर सकता/सकती है।
- उपरोक्त सभी खातों का विवरण हमारी सभी शाखाओं में उपलब्ध है और इसे हमारे बैंक की वेबसाइट से भी लिया जा सकता है।
- बैंक कोई भी जमा खाता खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ''अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)'' दिशा निर्देशों और /या बैंक द्वारा तैयार अन्य ऐसे मानदंडों या प्रक्रियाओं के अन्तर्गत यथा अपेक्षित उचित सावधानी बरतेगा।
- बैंक द्वारा भावी जमाकर्ता को खाता खोलने का फार्म उपलब्ध करवाया जाएगा । बैंक कर्मी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं समझाएगा और वह इस भावी जमाकर्ता के जमा खाते खोलने के लिए बैंक आने पर इसके द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी देगा। भावी जर्माकर्ता द्वारा खाता खोलने का फार्म पूरी तरह और ठीक से भरा जाना चाहिए।
- बचत खाता और चालू खाता जैसे जमा उत्पादों के संबंध में ऐसे खातों के इस्तेमाल को शासित करने वाले निबंधन एवं शर्तों के भाग के रूप में खोले गए खाते की किस्म के अनुसार हमेशा कुछ विशेष औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) /औसत मासिक शेष (एएमबी) रखा जाना आवश्यक है। खाते में उपरोक्त विशेष एक्यूबी/एएमबी न रखे जाने पर, शेष न रखे जाने का प्रभार (एनएमसी) लिया जाएगा।
- प्रभारों की अनुसूची बैंक की वेबसाइट (www.Kotak.bank.in) पर तथा शाखा परिसर में उपलब्ध है।
- बचत बैंक खाते पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों तथा कुछ विशेष संगठनों के लिए खोले जा सकते हैं (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर)
- चालू खाते व्यक्तियों /साझेदार फर्मो/प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों / हिंदू संयुक्त परिवारों/ विनिर्दिष्ट एसोसिएशनों /सोसायटियों /न्यासों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।

- फिक्स्ड डिपॉज़िट्स खाते व्यक्तियों / साझेदार फर्मों / प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों / हिंदू संयुक्त परिवारों / विनिर्दिष्ट एसोसिएशनों / सोसायटियों / न्यासों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।
- जमा खाता खोलते समय उचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति की पहचान की संतुष्टि, पते का सत्यापन, इसके व्यवसाय / क्रियाकलाप के स्तर, आय के स्रोत आदि की संतुष्टि की जाएगी। बैंक ऐसे किसी व्यक्ति से भावी जमाकर्ता के परिचय की मांग कर सकता है जो बैंक को स्वीकार्य हो। बैंक उचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया के भाग के रूप में खाता खोलने / इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का नवीनतम फोटो मांगेगा।
- उचित सावधानी बरतने की अपेक्षा के अलावा केवाईसी मानदण्डों के अन्तर्गत बैंक आयकर अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट स्थायी खाता नम्बर (पैन) या विकल्प के रूप में फार्म नंबर ६० में घोषणा दिए जाने की मांग करेगा।
- बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित मौजूदा ग्राहकों के बारे में सामान्य जानकारी (प्रोफाइल) की समीक्षा करते समय विशेष समय अन्तरालों पर नए या अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेजों की मांग करेगा।

एकल व्यक्ति खाता

ये जमा खाते ऐसे एकल व्यक्ति द्वारा खोले और इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसकी आयु १८ वर्ष से अधिक हो।

संयुक्त खाता

दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने नाम से खोले गए जमा खाते को संयुक्त खाता कहा जाता है।

संयुक्त खाते का इस्तेमाल

एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए संयुक्त खाते का इस्तेमाल निम्नलिखित पद्धति से किया जा सकता है।

दोनों में से कोई भी या उत्तरजीवी

यह पद्धति दो व्यक्तियों द्वारा धारित खाते पर लागू होती है । इस पद्धति में खाते का इस्तेमाल खाता धारकों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा या उत्तरजीवी (खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने या इसके पागल होने की स्थिति में) द्वारा किया जा सकता है।

कोई भी या उत्तरजीवी

यह पद्धति दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित खाते पर लागू होती है। इस पद्धति में खाते का इस्तेमाल खाता धारकों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा या उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) (खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने या उसके पागल होने की स्थिति में) द्वारा किया जा सकता है।

संयुक्त रूप से

इस पद्धति में खाते का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब सभी खाता धारकों ने हस्ताक्षर किए हों।

खाते का इस्तेमाल करने के अधिदेश में सभी खाता धारकों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है।

अवयस्क द्वारा माता-पिता / अभिभावक के साथ मिलकर खोले गए बचत बैंक खाते का इस्तेमाल केवल माता पिता द्वारा किया जा सकता है।

संयुक्त खाता धारक उपरोक्त खातों में शेष के भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कोई भी अधिदेश दे सकता है :

- दोनों में से कोई भी या उत्तरजीवी : यदि खाता दो व्यक्तियों के नाम से है जैसे 'क' और 'ख' तो दोनों में से किसी भी खाता धारक की मृत्यु होने पर अन्त में बचे शेष और इस पर ब्याज़, यदि लागू हो, का भुगतान उत्तरजीवी को किया जाएगा।
- कोई भी या उत्तरजीवी : यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से है जैसे 'क', 'ख' और 'ग' तो किन्ही दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर अन्त में बचे शेष और इस पर ब्याज़, यदि लागू हो, का भुगतान उत्तरजीवी को किया जाएगा।
- पहले नाम वाला / उत्तरजीवी: केवल वही खाता धारक खाते का इस्तेमाल कर सकता है जिसका नाम खाते में पहले हो और इस धनराशि पर इसका पूर्ण अधिकार होगा । उत्तरजीवी के अधिकार केवल पहले नाम वाले की मृत्यु के बाद ही चालू होते हैं।
- बाद में नाम वाला / उत्तरजीवी: केवल वही खाता धारक खाते का इस्तेमाल कर सकता है जिसका नाम खाते में बाद में हो और इस धनराशि पर इसका पूर्ण अधिकार होगा । उत्तरजीवी के अधिकार केवल पहले नाम वाले की मृत्यु के बाद ही चालू होते हैं।

संयुक्त खाता धारकों के नाम /नामों को शामिल करना / हटाना

बैंक, सभी खाता धारकों के अनुरोध पर और परिस्थितियों की मांग होने पर संयुक्त खाता धारकों के नाम /नामों को शामिल करने / हटाने की अनुमति दे सकता है या किसी भी जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के रूप में अन्य व्यक्ति का नाम शामिल करवाने की अनुमति दे सकता है।

अवयस्क के खाते

अवस्यक के नाम खाता माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है और इन्हीं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वयस्क होने पर, पहले के अवयस्क को अपने खाते में शेष की पुष्टि करनी चाहिए और यदि इस खाते का इस्तेमाल माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जा रहा है तो माता-पिता द्वारा विधिवत सत्यापित पहले के अवयस्क के नए हस्ताक्षर लिए जाएंगे और इन हस्ताक्षरों को, अवयस्क से वयस्क की अवस्था में आने वाले आवेदक के लागू केवाईसी दस्तावेजों के साथ खाते के इस्तेमाल के सभी प्रयोजनों के लिए रिकार्ड में रखा जाएगा।

निरक्षर / दृष्टिहीन व्यक्ति का खाता

बैंक अपने विवेक पर चालू खाता छोड़कर निरक्षर व्यक्ति का जमा खाता खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता तभी खोला जा सकता है जब वह ऐसे गवाह के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक में आए जिसे जमाकर्ता और बैंक दोनों जानते हों। सामान्तया, ऐसे बचत बैंक खातों के लिए कोई चेक बुक सुविधा नहीं दी जाती है। खाते में जमा राशि और / या ब्याज़ निकालने / डालने के समय, खाताधारक इस अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगुठे की छाप या निशान लगाएगा / लगाएगी जो संबंधित व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करेगा । बैंक अधिकारी निरक्षर / दृष्टीहीन व्यक्ति को, खाते पर लागू निबंधन एवं शर्तें समझाएगा।

मुख्तारनामा

जमाकर्ता के अनुरोध पर, बैंक, इस जमाकर्ता द्वारा दिए गए अधिदेश / मुख्तारनामे को पंजीकृत करेगा जिसमें इसकी ओर से खाते का इस्तेमाल करने के लिए अन्य व्यक्ति को अधिकार देने का उल्लेख होगा।

नामांकन सुविधा

व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है । एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान खाते के लिए भी नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन केवल एक ही व्यक्ति के नाम किया जा सकता है। खाता धारक इस प्रकार किए गए नामांकन को किसी भी समय रद्द कर सकता है या इसमें परिवर्तन कर सकता है। नामांकन, करते समय इसे रद्द या इसमें परिवर्तन करते समय किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है। खाता धारक की सहमति से नामांकन में संशोधन किया जा सकता है। किसी अवयस्क के नाम भी नामांकन किया जा सकता है। यह सिफारिश की जाती है कि सभी अलग-अलग जमाकर्ता नामांकन सुविधा का लाभ उठाएं ताकि जमाकर्ता / जमाकर्ताओं की मृत्यु होने की स्थिति में नामिती को देय राशि का भुगतान करना आसान हो जाए। जमाकर्ता /जमाकर्ताओं की मृत्यु हो की स्थिति में, नामिती को कानूनी वारिसों के एक न्यासी के रूप में खाते में बकाया शेष का भुगतान किया जाएगा। खाता खोलने के समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभों की जानकारी दी जाएगी। टू-वे स्वीप सुविधा (ऐक्टिव मनी) के माध्यम से खोली गई फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के संबंध में, बचत /चालू खाते में नामांकन माना जाएगा।

चेक बुक और चेक

बैंक, बचत, चालू या ओवर ड्राफ्ट खाता धारकों को ऐसे देय प्रभारों पर चेक बुक जारी कर सकता है जो बैंक द्वारा प्रदर्शित किए जाएं। ग्राहक को चेक बुक इसके डाक पते पर भेजी जाएगी। बैंक अपने विवेक से कानून के अनुसार कुछ विशेष ग्राहकों को 'एट पार' चेक बुक दे सकता है।

बैंक चालू, बचत या ओवर ड्राफ्ट खाता धारक किसी भी व्यक्ति को इस स्थिति में नई चेक बुक जारी करने से मना कर सकता है जब इस व्यक्ति के खाते में पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण एक वित्त वर्ष के दौरान चार या इससे अधिक बार इसके एक करोड़ रूपए या इससे अधिक राशि के चेक अस्वीकार कर दिए गए हों । साथ ही, बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर विचार कर सकता है।

बैंक को चेक के बार-बार अस्वीकार किए जाने / एक माह में बैंक द्वारा निर्धारित चेक बुक की मूल सीमा से अधिक चेक जारी करने की स्थिति में चेक बुक देना बंद करने का अधिकार सुरक्षित होगा। (एकल खाता - १00 से अधिक, कम्पनी / फर्म खाता ५00 से अधिक)।

ग्राहक चेक में इस प्रकार विवरण भरे कि इसे जारी करने के बाद इसमें किसी परिवर्तन की जरूरत न पड़े और ग्राहक के हस्ताक्षर बैंक के रिकार्ड में दिए इसके हस्ताक्षर से मिलने चाहिए। चेक में किसी परिवर्तन को ग्राहक द्वारा इसके सामने हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाना आवश्यक है। बैंक को किसी भी तरह के परिवर्तन वाले चेकों का तब तक भुगतान करने से मना करना का

अधिकार सुरक्षित होगा जब तक कि इन परिवर्तन के सामने ग्राहक द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर से इसे अधिप्रमाणित न कर दिया गया हो और इसके हस्ताक्षर बैंक के रिकार्ड में उपलब्ध इसके हस्ताक्षर से नहीं मिलते हों खाते का विवरण बैंक, खाता खोलने के निबंधन एवं शर्तो के अनुसार बचत बैंक और चालू जमा खाता धारकों को समय-समय पर खाते का विवरण उपलब्ध करवाएगा।

खाते का विवरण

बैंक, खाता खोलने के निबंधन एवं शर्तो के अनुसार बचत बैंक और चालू जमा खाता धारकों को समय-समय पर खाते का विवरण उपलब्ध करवाएगा।

पास बुक सुविधा

ग्राहक के विशेष अनुरोध पर, बैंक अलग-अलग ग्राहकों को पास बुक सुविधा प्रदान करेगा। पास बुक सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राहकों को प्रभारों की सामान्य अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रभारों पर खाता विवरण उपलब्ध करवाया जाएगा।

सीधे नामे डालना और स्थायी निर्देश

यह ऐसी भुगतान प्रणाली है जिसके अनुसार ग्राहक, बैंक के रूप में हमें यह निर्देश दे सकता है कि हम नियमित भुगतान करें जैसे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का अन्तरण, लॉकर के किराए का भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान, जीवन बीमा भुगतान या किसी नियत लाभार्थी को अन्य कोई आवधिक भुगतान। इसके अलावा, इस सुविधा से ग्राहकों को चेक काटने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है।

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपके सीधे नामे डाले जाने के निर्देश को सफलतापूर्वक लागू किया जाना ज़रूरी है।

औसत तिमाही / मासिक शेष

एक्यूबी - औसत तिमाही शेष से अभिप्राय तीन कैलेंडर महीनों में ग्राहक द्वारा रखें गए औसत शेष से है।

एएमबी - औसत मासिक शेष से अभिप्राय तीन कैलेंडर महीनों में ग्राहक द्वारा रखें गए औसत शेष से है।

एक्यूबी - एएमबी की गणना इस प्रकार की जाती है : एएमबी - माह या तिमाही में प्रत्येक दिन के अंतिम शेष की राशि / (इस माह या तिमाही में दिनों की संख्या)

बचत खाते में ब्याज़ भुगतान

बचत बैंक खाते पर ब्याज़ के भुगतान की गणना दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाती है।

१ अप्रैल २०१६ को प्रभावित, बचत बैंक खाता की शेष राशि पर अर्जित ब्याज़ को बचत खाते में तिमाही आधार पर जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में जमा किया जायेगा।

बचत खाते पर ब्याज़ की दर निम्नानुसार है:

खाते में शेष	ब्याज-दर
सभी शेष राशियों के लिए	२.५०% प्रति वर्ष

<u>उदाहरण:-</u>
दिन के अंत में खाते में शेष = रु. ५५,००,०००
सभी शेष पर नियत ब्याज = २.५०% सालाना
आज के लिए यहां देय ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी: (५५,००,००० * २.५०% * ३६५)
*वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बचत खाते पर ब्याज-दर को गैर-विनियमित कर दिया है, जिसे समय-समय पर बदला जा सकता है।

फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में ब्याज़ भुगतान

यदि किसी व्यक्ति की सभी फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर एक वित्तीय वर्ष में दिया गया/देय कुल ब्याज आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित रकम से अधिक है तो बैंक का कानूनी दायित्व है कि वह स्रोत पर कर की कटौती करे। बैंक काटे गए कर की राशि का कर कटौती प्रमाण पत्र (टीडीएस सर्टिफिकेट) जारी करेगा। यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट का पात्र है तो इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में शुरू में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी ताकि इसका कोई टीडीएस न काटा जाए।

ऐक्टिवमनी (२-वे स्वीप डिपॉज़िट) के लिए नियमित फिक्स्ड डिपॉज़िट्स की दरें वरिष्ठ नागरिकों /बैंक कर्मचारियों समेत सभी ग्राहकों के लिए लागू हैं।

पुनर्निवेश जमाराशियों के मामले में एफडी पर ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाता है, बशर्ते कि जमाराशि बैंक में न्यूनतम १८१ दिन या उससे अधिक अवधि के लिए रखी गई हो। १८१ दिनों से कम अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर ब्याज की गणना परिपक्वता पर साधारण ब्याज के रूप में की जाती है।

फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर ब्याज़ की गणना की विधि

मासिक ब्याज़ भुगतान विकल्प फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर मासिक ब्याज़ के लिए ब्याज़ की दर मानक दर से कम होगी।

ब्याज़ का भुगतान जमा की तिथि से मासिक अन्तरालों पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए १५ फरवरी, २०२५ को बुक की गई जमा राशि पर ब्याज़ का भुगतान १५ मार्च, २०२५ को किया जाएगा।

तिमाही ब्याज़ भुगतान विकल्प ब्याज़ का भुगतान जमा की तिथि से तिमाही अन्तरालों पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए १५ फरवरी, २०२५ को बुक की गई जमा राशि पर ब्याज़ का भुगतान १५ मई, २०२५ को किया जाएगा।

ब्याज की गणना नॉन-लीप ईयर में बुक की गई जमा राशि के लिए साल में ३६५ दिन और लीप (कैलेंडर) ईयर में बुक की गई फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के लिए साल में ३६६ दिन के आधार पर किया जाता है। उदाहरण - कैलेंडर वर्ष २०२४ (एक लीप वर्ष) में बुक की गई फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के लिए, २०२४ की पूरी अवधि के लिए ब्याज (चाहे फरवरी से पहले या बाद में बुक किया गया हो), औरब्याज की गणना ३६६ दिनों के आधार पर की जायेगी।

संचयी जमा के तहत संचयी ब्याज भुगतान विकल्प (परिपक्वता पर), ब्याज की गणना तिमाही अंतराल पर की जाती है, यानी एक तिमाही में कमाया गया ब्याज अगली तिमाही में ब्याज गणना के लिए मूल धन में शामिल किया जाता है। तिमाही ब्याज गणना का फ़ॉर्मूला तिमाही ब्याज भुगतान विकल्प जैसा ही है।

उदाहरण के लिए

तिमाही	मूलधन राशि	ब्याज़	आगामी तिमाही के लिए मूलधन तिमाही
१	१००	२	१०२
२	१०२	२.०४	१०४.०४
३	१०४.०४	२.०८	१०६.१२

जमा राशि की परिपक्वता अवधि पूरी होने तक इसी प्रकार आगामी तिमाहियों की गणना की जाती रहेगी। उपरोक्त उदाहरण में टीडीएस के प्रभाव का उल्लेख नहीं है। यदि जमा राशि की अवधि १८१ दिन या दो तिमाही से कम है तो जमा पर संचयी ब्याज़ नहीं दिया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स (६० वर्ष या इससे अधिक)

बैंक, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी गई राशियों पर समय-समय पर यथाघोषित अधिक ब्याज़ देता है। बैंक, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में रखी गई राशि से संबंधित सभी लागू आयकर नियमों के अनुसार कार्रवाई भी करेगा।

आय से कर की कटौती (टीडीएस)

अगर वित्तीय वर्ष के दौरान जमाकर्ता को मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, १९६१ में उल्लेखित सीमा को पार कर जाता है तो टीडीएस लागू होगा। अभी, यह सीमा ₹५०,०००/- है (वरिष्ठजनों के लिए ₹१,००,०००)। टीडीएस दर आयकर अधिनियम में निर्धारित की गई दर के अनुसार होगी। वर्तमान कर नियमों के अनुरूप, उपार्जित ब्याज पर गणना की गई टीडीएस राशि खाताधारक की ओर से कोटक बैंक द्वारा कर प्राधिकारियों को भेज दी जाती है। ३१ मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत में अदत्त ब्याज पर भी टीडीएस की कटौती की जाती है, और यदि अर्जित ब्याज टीडीएस की वसूली के लिए अपर्याप्त हो तो जमा राशि के मूलधन से टीडीएस वसूल

किया जाएगा। अगर ३१ मार्च तक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर कोई ब्याज प्राप्त हुआ है तो उस जमाराशि पर टीडीएस में जितनी कमी (शॉर्टफॉल) है उसके बराबर लियन (ग्रहणाधिकार) लगाया जाएगा, जो अर्जित ब्याज से काटा जाएगा। इस टीडीएस शॉर्टफॉल ग्रहणाधिकार के अंतर्गत आने वाली किसी भी राशि पर तब तक ब्याज नहीं मिलेगा जब तक वह बाद के ब्याज निपटान/जमा बंदी से वसूल नहीं कर लिया जाता। ग्रहणाधिकार राशि आगामी ब्याज भुगतान चक्र में या जमा राशि के आंशिक/पूर्व-समापन में, जो भी पहले हो, वसूल की जाएगी। ग्राहक बैंक की निकटतम शाखा में निवेदन प्रस्तुत करके अपने चालू खाते/बचत खाते से टीडीएस वसूली को अधिकृत कर सकते हैं। अगर चालू खाता/बचत खाता में पर्याप्त शेष नहीं है तो उपरोक्त स्थिति में टीडीएस की रकम के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट्स (FD) पर रोक या ग्रहणाधिकार लगाया जा सकता है।

आय से कर की कटौती से छूट

आय से कर की कटौती में छूट, आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित फॉर्म प्रस्तुत करके प्राप्त की जा सकती है।

फॉर्म १५ जी यह एक घोषणा होती है जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि जमाकर्ता की आय से कर की कटौती होने की संभावना नहीं है और इसलिए वह आय से कर की कटौती से छूट प्राप्त करना चाहेगा। फॉर्म १५ जी वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर एकल व्यक्ति या व्यक्ति (जो कम्पनी या फर्म नहीं है) के लिए है।

फॉर्म १५ एच यह एक घोषणा होती है जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि जमाकर्ता की आय से कर की कटौती होने की संभावना नहीं है और इसलिए वह आय से कर की कटौती से छूट प्राप्त करना चाहेगा। फॉर्म १५ एच आवासी व्यक्तियों, जो वरिष्ठ नागरिक हैं अर्थात ऐसे एकल व्यक्ति जिनकी आयु ६० वर्ष या इससे अधिक है, के लिए है।

आयकर अधिकारी से छूट का प्रमाणपत्र - फॉर्म १५ ए ए आय कर अधिनियम में इस बात का भी उल्लेख है कि यदि इस धारा में उल्लिखित किसी भी आय जिसे गत वित्त वर्ष के दौरान जमा डाला गया हो / अदा किया गया हो या जिसके जमा डाले जाने / अदा किए जाने की संभावना हो, की राशि / राशियों का कुल योग इस अधिकतम राशि, जिस पर कर देय नहीं बनता, से अधिक हो तो आय से कर की कटौती से छूट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और कर निर्धारिती फॉर्म १५ जी में घोषणा प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है। ऐसे मामलों में आयकर अधिकारी द्वारा जारी विशिष्ट छूट का पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि न्यास / सोसायटी आदि जैसी संस्थाओं, जिन्हें आय कर से छूट प्राप्त है, को वित्त वर्ष के दौरान अदा किए गए या अदा किए जाने वाले संभावित ब्याज़ के इस अधिकतम राशि, जिस पर कर देय नहीं बनता, से अधिक होने की संभावना हो तो इन संस्थाओं को ऐसा पत्र/फॉर्म १५ ए ए प्रस्तुत करना होगा।

फिक्स्ड डिपॉज़िट्स का परिपक्वता तिथि से पहले आहरण

ग्राहक, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स राशि को परिपक्वता तिथि से पहले आंशिक रूप से / पूर्णतया निकाल सकता है। इसे परिपक्वता तिथि से पहले फिक्स्ड डिपॉज़िट्स की राशि निकालने पर ब्याज़ का भुगतान, इस अवधि, जब तक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स बैंक के पास रही, के लिए जमा की तिथि को प्रचलित दर या संविदागत दर, जो भी कम हो। इसके अलावा, बैंक किसी भी वर्तमान जमाराशि को समय से पहले बंद करने पर, समय-समय पर तय की गई दरों के अनुसार अर्थदंड लागू कर सकता है। अर्थदंड की संरचना वेबसाइट पर फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पेज पर दी गई है।

[उदाहरण के लिए, मान लें कि एफडी की राशि ₹१५ लाख है, १-२ वर्ष के लिए दर १०% है और २-३ वर्ष के लिए ९.५०% है और ग्राहक २ साल १ दिन (यानी ९.५०%) के लिए जमा बुक करता है। अब अगर ग्राहक १ वर्ष के बाद एफडी को भुनाता है तो उसे ९% की दर से ब्याज दिया जाएगा (संविदा दर/जमा-अवधि के लिए लागू दर में से जो कम हो, तथा १% दंडात्मक शुल्क की कटौती)। आंशिक रूप से समय-पूर्व भुनाने की स्थिति में, शेष राशि पर मूल जमाराशि की संविदा तिथि पर प्रभावी दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा।]

बचत / चालू खाते से जुड़ी १८१ दिन और इससे अधिक अवधि की अकेली फिक्स्ड डिपॉज़िट्स राशि पर नियमित स्वीप जमा क्रियाशीलता के अनुसार ब्याज़ दिया जाएगा और दंड प्रभार यथा उपरोक्त लागू होंगे।

फिक्स्ड डिपॉज़िट्स राशियों का भुगतान /नवीकरण

जमा राशि बुक करते समय इसकी परिपक्वता तिथि और भुगतान संबंधी निर्देश दिए जाने अनिवार्य हैं । ग्राहक को, बैंक में रखे गए इसके चालू / बचत खाते में भुगतान प्राप्त करने या बैंक से इसके पास पंजीकृत डाक पते पर भुगतान का डीडी / बीसी भेजने का अनुरोध करने का विकल्प होगा । ग्राहक जमा राशि की अवधि के दौरान कभी भी परिपक्वता तिथि संबंधी निर्देशों में परिवर्तन कर

सकता है। इन निर्देशों को सुरक्षित रखा जाएगा और परिपक्वता के समय निष्पादित किया जाएगा।

फिक्स्ड डिपॉज़िट्स राशियों पर ओवरड्राफ्ट

बैंक, जमाकर्ता / जमाकर्ताओं द्वारा विधिवत रूप से बुक करवाई गई फिक्स्ड डिपॉज़िट्स राशियों पर, आवश्यक प्रतिभूति दस्तावेजों का निष्पादन किए जाने पर लोन / ओवर ड्राफ्ट की सुविधा के लिए जर्माकर्ता / जमाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार कर सकता है। बैंक, अवयस्क के नाम रखी गई जमा राशि पर लोन देने पर भी विचार कर सकता है, लेकिन, जर्माकर्ता / आवेदक द्वारा इस आशय की उपयुक्त घोषणा कि उक्त ऋण अवयस्क के हित के लिए है, प्रस्तुत की जानी होगी।

आवर्ती जमा

ब्याज़ का भुगतान

- बैंक द्वारा आवर्ती जमा पर ब्याज़ की गणना, भारतीय बैंकों की एसोसिएशन द्वारा सुझाई गई कार्यविधि के अनुसार की जाएगी।
- आवर्ती जमा के लिए ब्याज़ दर आवर्ती जमा बुक करने की तिथि को फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के लिए लागू तदनुरूपी दर होगी।
- आवर्ती जमा पर ब्याज़ की गणना, तिमाही अन्तराल पर लागू दर से चक्रवृद्धि ब्याज़ के रूप में की जाएगी।

किस्तों का भुगतान

- एक बार नियत की गई किस्त की राशि में बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- भुगतान के समय एक से ज़्यादा बाकी किस्त देय होने पर, अदा की गई किस्त यदि केवल एक किस्त के भुगतान के लिए ही पर्याप्त है तो इसे देय पहली किस्त / अगली ही किस्त में शामिल दिया जाएगा ।
- किस्तों के आंशिक / अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
- बैंक, किस्तों का भुगतान करने के लिए जमाकर्ता / जमाकर्ताओं के खाते में पर्याप्त शेष रखने के बारे में इसे /इन्हें सूचित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

पात्रता :

आवासी व्यक्ति (अवयस्कों सहित) और संयुक्त हिंदू परिवार

परिपक्वता :

- चाहे किस्ते अदा की जानी बाकी हो जमा राशि, संविदागत अवधि की समाप्ति पर परिपक्वता हो जाएगी और किस्तों का ऐसा भुगतान न किए जाने के कारण लागू दंड ब्याज़ प्रभार काटने के बाद, उक्त जमा राशि अदा किए जाने के लिए देय हो जाएगी।
- एक माह के भीतर ही इस जमा राशि के भुनाने पर ब्याज़ का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और केवल मूल धन लौटाया जाएगा।
- आवर्ती जमा सूचना में उल्लिखित परिपक्वता की राशि, सभी किस्तों के समय पर भुगतान किए जाने पर अदा की जाएगी।

किस्तों के भुगतान में देरी पर दंड

- ५ दिनों की छूट अवधि के बाद किसी भी किस्त के भुगतान में देरी की स्थिति में, विलंबित महीने के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट आर.डी. ब्याज-दर पर दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।
- ऐसे ब्याज़ की गणना करने के प्रयोजन से एक माह के अंश को पूरा माह माना जाएगा।
- चाहे माह का भुगतान कर दिया गया हो परन्तु किस्त वसूली के स्थायी निर्देशों का पालन नहीं किया गया हो तो, बैंक, प्रभारों की सामान्य विशेषताओं और अनुसूची (जीएफएससी) के अनुसार चालू / बचत खाते से स्थायी निर्देश का पालन न करने के प्रभार वसूल करेगा।

- देय कुल दंड ब्याज, बैंक द्वारा देय ब्याज़ की कुल राशि से वसूल किया जाएगा और इसे केवल खाते की परिपक्वता पर या परिपक्वता से पहले, जैसा भी मामला हो, खाता बंद किए जाने के समय ही वसूल किया जाएगा।

आवर्ती जमा (RD) की समयपूर्व निकासी:

- एक माह के भीतर ही इस जमा राशि के भुनाने पर ब्याज़ का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और केवल मूल धन लौटाया जाएगा।
- आवर्ती जमा (आर.डी.) की समय-पूर्व निकासी पर, जमा तिथि को लागू दर पर, जितनी अवधि तक जमाराशि बैंक में रखी गई या संविदा दर पर, जो भी कम हो, दंडात्मक प्रभार की कटौती करने के बाद ब्याज दिया जाएगा। मौजूदा जमाराशि को समय से पहले बंद करने पर, बैंक समय-समय पर निर्धारित दर पर अर्थदंड लगा सकता है।

विदेशी विनिमय सेवाएं पूरे भारत में चुनिंदा शाखाओं (ए और बी श्रेणी) में उपलब्ध हैं जो विदेशी विनिमय का कार्य करने के लिए अधिकृत हैं।

- विदेशी मुद्रा नकद खरीद / बिक्री
- वायर द्वारा अन्तरण (वायर ट्रांसफर) / जावक विप्रेषण (आउटवार्ड रेमिटेंस)
- डिमांड ड्राफ्ट्स
- विदेशी मुद्रा कार्ड्स (फॉरेक्स कार्ड्स)

चेक

हमारे ग्राहक होने के नाते आप सभी मुद्राओं में चेक जमा कर सकते हैं। आपको सिर्फ नीचे दिए पते पर अपने कोटक महिन्द्रा बैंक खाते के नाम एक डिमांड ड्राफ्ट या चेक मेल करना है और हम आपके विदेशी बैंक से धन राशि वसूल कर लेंगे और आपके खाते में जमा डाल देंगे। एनआरआई सर्विस सेन्टर, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, पांचवा तल, विनय भव्या कॉम्प्लेक्स, सी.एस.टी. रोड, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुम्बई - ४०००९८, भारत। हमारे पास आपके खाते में चेक की राशि जमा करने में लगने वाला समय, मुद्रा के प्रकार और देश/स्थान पर निर्भर करेगा, जहां पर चेक जारी किया गया है। यह समय, हमारे नोस्ट्रो खाते में चेक जमा होने की तिथि से ६ से २१ कार्य दिवसों तक होगा।

विदेशी मुद्रा नकदी

विदेशी मुद्रा नकद (फॉरेन करेंसी कैश) वर्तमान में केवल उन निवासी व्यक्तियों के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है जो उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत अवकाश यात्रा और शिक्षा के लिए १५ मुद्राओं में विदेश यात्रा कर रहे हैं। बेची गई विदेशी मुद्रा की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार है। विदेशी मुद्रा लेनदेन आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अंतर्गत विनियमित होते हैं जिसमें उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) की सीमाओं, विदेशी मुद्रा नकद पर स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) और अनुपालन के मानदंडों को निर्धारित किया गया है।

जावक विप्रेषण

जावक प्रेषण, जिसे टेलिग्राफिक ट्रांसफर/ट्रांसफर/वायर ट्रांसफर/स्विफ्ट ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में कहीं भी लाभार्थी के खाते में धन भेजने का शीघ्रतम और सबसे सुविधाजनक तरीका है। उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत प्रत्येक निवासी व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष २५०००० अमेरिकी डॉलर तक धन भेज सकता है।

चाहे पढ़ाई-लिखाई की फीस हो, रहने के खर्चे, परिवार का भरण-पोषण व्यय, विदेश में निवेश या विदेश में अपने मित्रों को धन भेजना हो, हमारी ऑनलाइन आउटवर्ड रेमिटेंस सेवा 'कोटक रेमिट' का उपयोग करके यह सब कुछ पलक झपकते हो जाएगा। आप इसे मोबाइल/नेट बैंकिंग के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं।

कोटक रेमिट

- उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत ग्राहक चालू और पूंजी खाता के लिए विदेश में धन भेज सकते हैं।
- ज्यादा मूल्य के लेनदेन के लिए ५०,००० अमेरिकी डॉलर तक के ऑनलाइन धन-प्रेषण के लिए आसान डिजिटल विप्रेषण सुविधा
- मार्गदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए टेलिफोन पर सहायता उपलब्ध है।

- १५ मुद्राओं में उपलब्ध
- ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से ग्राहक रियायती लेनदेन प्रभार का लाभ उठा सकते हैं
- कोटक रेमिट के ज़रिये २४x ७ ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए आप निम्नांकित में से कोई भी तरीका चुन सकते हैं।
- मोबाइल बैंकिंग:
  कोटक बैंक मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर > पेमेंट > पैसे भेजें > विदेश में पैसे भेजें >
- नेट बैंकिंग:
  नेट बैंकिंग में लॉग इन करें > 'पेमेंट्स और टैक्स' पर क्लिक करें > 'विदेश में पैसे भेजें' चुनें

वैकल्पिक रूप से, आप A2 सह घोषणा/आवेदन पत्र भरकर कोटक बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा में जमा कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा डिमांड ड्राफ्ट

विदेशी मुद्रा डिमांड ड्राफ्ट (FC DD) एक प्रीपेड, परक्राम्य बैंकिंग साधन है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है। विदेशी मुद्रा डिमांड ड्राफ्ट को लाभार्थी के पक्ष में जारी किया जाना होता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किया जा सकता है, जैसे:-

- किसी मित्र या रिश्तेदार को उपहार भेजना
- टीओईएफएल, जीएमएटी आदि जैसी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान
- विदेशों में यूनिवर्सिटी फीस का भुगतान
- चिकित्सा उपचार बोर्ड के लिए भुगतान
- आरबीआई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अन्य कोई अनुमत्य प्रयोजन

FCY डिमांड ड्राफ्ट तीन मुद्राओं में जारी किए जाते हैं: अमेरिकी डॉलर (USD), ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (GBP), और कैनेडियन डॉलर (CAD)

विदेशी मुद्रा कार्ड (फॉरेक्स कार्ड)

कोटक फॉरेक्स कार्ड एक चिप-आधारित प्री-पेड कार्ड है जिसे वीज़ा के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। यह मल्टीकरेंसी कार्ड आपको आसान और सुरक्षित तरीके से एक ही कार्ड में १५ मुद्राओं तक लोड करने का विकल्प देता है। कोटक फॉरेक्स कार्ड व्यापारियों के बीच व्यापक रूप से स्वीकृत है क्योंकि यह ज्यादा सुरक्षा देता है तथा उपयोग में ज्यादा आसान और तेज है। यह नकद विदेशी मुद्रा का सर्वोत्तम विकल्प है।

- यह सुविधाजनक है और इसे ले जाना तथा इस्तेमाल करना आसान है। एक ही कार्ड पर कई करेंसियों (मुद्राओं) को लोड किया जा सकता है।
- यह १५ विदेशी मुद्राओं में उपलब्ध है, जैसे: USD / EUR / GBP / AUD / SGD / CHF / HKD / JPY / CAD / SEK / ZAR / AED / SAR / THB / NZD
- इन्क्रिप्टेड चिप के कारण यह कार्ड नकल, धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल से सुरक्षित है।
- स्थानीय डिफ़ॉल्ट करेंसी के सम्पूर्ण इस्तेमाल के बाद, उपयोग के लिए अगली डिफ़ॉल्ट करेंसी की उपलब्धता।
- यह विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देता है।
- इसका इस्तेमाल खर्चों के प्रबंधन और रोजमर्रा के भुगतान के लिए किया जा सकता है।
- इसे बैंक की शाखाओं में काउंटर पर तुरंत जारी किया जा सकता है या आपके रजिस्टर्ड पते पर भेजा जा सकता है।
- अगर लेनदेन कार्ड पर लोड किए गए देश में ही किया गया है, तो कोई भी क्रॉस-करेंसी ट्रांज़ैक्शन मार्क-अप नहीं लगेगा।
- वैधता ५ साल (जैसा कार्ड के ऊपर लिखा है)
- व्यक्तिकृत/गैर-व्यक्तिकृत कार्ड/बैकअप कार्ड/इंस्टा कार्ड का विकल्प।

फॉरेक्स कार्ड विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों और भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह कोटक महिन्द्रा बैंक के खाताधारक ग्राहकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग ग्राहकों के लिए भी जारी किया जा सकता है। लागू होने वाले दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के बाद, फॉरेक्स कार्ड मोबाइल/नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन और कोटक महिन्द्रा बैंक की शाखाओं में काउंटर पर जाकर तुरंत खरीदा/लोड किया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अंतर्गत विनियमित होते हैं, जिसमें उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) की सीमाओं, विदेशी मुद्रा नकद पर स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) और अनुपालन के मानदंडों को निर्धारित किया गया है।

निम्नांकित देशों के अलावा, फॉरेक्स कार्ड दुनिया के अन्य सभी देशों में प्रभावी है: ईरान, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, सीरिया, क्रीमिया क्षेत्र, अफ़गानिस्तान, वेनेजुएला, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार (बर्मा)।

*समय-समय पर बदलाव संभव है। और अधिक जानकारी के लिए कृपया www.Kotak.bank.in पर जाएं।

वेबसाइट से चोरी (फ़िशिंग)

फ़िशिंग से अभिप्राय किसी वेबसाइट पर संवेदनशील और गोपनीय सूचना प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण आपराधिक कार्य में संलिप्त होने से है प्रयोक्ताओं से धोखे से वेबसाइटों, जिन्हें गलत इरादे से विश्वसनीय व्यक्ति की वेबसाइट बताया जाता है।

पर यूजर नेम, पासवर्ड, खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड नम्बर आदि जैसी गोपनीय सूचना प्राप्त की जाती है।

फ़िशिंग से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय

- जब भी बैंक की वेबसाइट में जाएं तो हमेशा अपने ब्राइजर ऐड्रेस बार पर हमारा यूएलआर www.Kotak.bank.in टाइप करें।
- कभी भी ई-मेल से निजी सूचना मांगने के किसी भी आग्रह का जवाब न दें।
- जब भी हमारी वेबसाइट में जाएं अपने ब्राउजर के सबसे नीचे हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह तलाशें।
- यदि कोई दुरूपयोग होता है तो तुरंत अपनी निकटतम शाखा में हमें सम्पर्क करें, या हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में कॉल करें। आप हमें bank@Kotak.bank.in पर ई-मेल भेजकर दुरूपयोग के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट भी कर सकते है।

स्पूफ़िंग :

स्पूफ़िंग से अभिप्राय अवैध रूप से संवेदनशील सूचना तक पहुंच बनाने के लिए छद्म रूप धारण करके धोखाधड़ीपूर्ण कार्य में संलिप्त होने से है। ई-मेल स्पूफ़ एक ऐसी तकनीक है जिसे मूल प्रेषक की पहचान छिपाने और स्वयं को प्रमाणिक और विश्वसनीय व्यक्ति पेश करने के लिए तैयार की जाती है ताकि प्रयोक्ता को झासा देकर इससे ई-मेल में गोपनीय सूचना प्राप्त की जा सके। सामान्तया ऐसा लगता है कि ई-मेल वैध पते से ही आई है जबकि 'उत्तर के पते' में वास्तविक धोखेबाज प्रेषक का पता हो सकता है। वेबसाइट स्पूफ़ धोखा देने का ऐसा पडयन्त्र होता है जिसमें धोखेबाज संगठन द्वारा सुप्रसिद्ध वेबसाइट की नकल कर ली जाती है ताकि प्रयोक्ताओं को झांसा देकर इनसे संवेदनशील सूचना प्राप्त की जा सके।

स्पूफ़िंग से बचने के महत्वपूर्ण उपाय:

- कोटक महिन्द्रा बैंक कभी भी आपको ई-मेल से निजी सूचना देने का अनुरोध करने की कोई ई मेल नहीं भेजेगा।
- ऐसी किसी भी ई-मेल का जवाब न दें जो आपसे निजी वित्तीय या सुरक्षा संबंधी सूचना मांगे।
- ऐसी किसी ई-मेल में किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
- यदि आपको आंशका हो कि आपको किसी ने कोई कपटपूर्ण ई-मेल भेजी है तो कृपया अपनी निकटतम शाखा में इसकी रिपोर्ट करें या हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में कॉल करें। आप हमें bank@Kotak.bank.in पर ई-मेल भेजकर दुरूपयोग के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट भी कर सकते है।

विशिंग :

विशिंग का कार्य फ़िशिंग जैसा ही होता है सिवाय इसके कि इसमें अवैध रूप से गोपनीय सूचना तक पहुंच बनाने के लिए वीओआईवी (वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्तया वॉयस काल की जाती है जिससे ग्राहक आईवीआर (इन्टरऐक्टिव वॉयस रिस्पोंस) जैसी टेलीफोन प्रणाली पर ऐसी संवदेनशील सूचना देने के झांसे में आ जाता है जो निजी, वित्तीय या सुरक्षा से संबंधित हो सकती है।

विशिंग से बचने के महत्वपूर्ण उपाय:

- ऐसी किसी व्यक्ति को कभी भी अपना पासवर्ड या पिन न बताएं जो अपने को कोटक महिन्द्रा बैंक का प्रतिनिधि कहें। हमेशा ध्यान रखें कि कोटक महिन्द्रा का कोई भी कर्मचारी आपसे आपका पासवर्ड या पिन नहीं पूछेगा।
- ऐसी किसी टेलीफोन प्रणाली पर निजी या खाते से संबंधित कोई भी सूचना न छोड़ें जो आपसे बताने के लिए कहे।
- इससे पहले कि आप कपटपूर्ण मेल में उल्लिखित फोन नम्बरों पर कॉल करें, कृपया इनका कोटक बैंक के रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में सत्यापन करें।
- यदि आपको यह आशंका हो कि किसी ने आपको कपटपूर्ण ई-मेल भेजी है जिसमें आपको कोटक बैंक का नंबर बताकर इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाएं तो कृपया अपनी निकटतम शाखा में इसकी रिपोर्ट करें या हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में कॉल करें। आप हमें bank@Kotak.bank.in पर ई-मेल भेजकर दुरूपयोग के किसी भी संदिग्ध मामले की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

सामान्य नेट बैंकिंग सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण उपाय:

- कभी भी अपना निजी पहचान नंबर (पिन) लिखकर न रखें - इसे केवल याद रखें। किसी को भी अपना पिन नंबर न बताएं। कोटक महिन्द्रा बैंक, अपना पिन या यूजर आईडी या पासवर्ड किसी को बताने से उत्पन्न क्षति के लिए देनदार नहीं होगा।
- पिन चुनते समय, ऐसे नंबर या अक्षर न चुनें जिनकी आसानी से पहचान हो सके। आद्याक्षर, फोन नम्बर या जन्म तिथि को पिन के लिए न चुनें।
- कोटक महिन्द्रा बैंक ई-मेल और एसएमएस अलर्ट सुविधा प्रदान करता है जिसके माध्यम से आपको लेनदेन संबंधी अलर्ट भेजे जाते हैं। हमेशा इन अलर्टो - ई-मेल / एसएसएस को देखते रहें जो बैंक आपको भेजे क्योंकि इससे आपको अपने धन का पता रखने और किसी दुरूपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी।
- यदि आपको यह आशंका हो कि आपके नेट बैंकिंग पासवर्ड की गोपनीयता भंग की गयी है या डेबिट कार्ड गुम हो गया है, तो कृपया तुरंत हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में संपर्क करें।

डेबिट कार्ड और एटीएम की सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण उपाय

- अपने निजी पहचान नंबर (पिन) को कभी भी अपने कार्ड के पीछे न लिखें या इसे किसी भी व्यक्ति को न बताएं - इसे केवल याद रखें।
- पहली बार एटीएम का उपयोग करने पर अपने पिन बदल लें और जन्म तिथि, फोन नंबर आदि जैसे नंबर न चुनें।
- जैसे ही आपको अपना कार्ड मिले, तुरंत हस्ताक्षर पैनल पर अपने हस्ताक्षर करना न भूलें । कार्ड खाता नंबरों और टेलीफोन नंबररों का रिकार्ड रखें ताकि कार्ड गुम होने या इसे चुराएं जाने पर आप रिपोर्ट कर सकें। इस सूची को सुरक्षित स्थान पर रखें।
- खरीददारी करने के बाद हर बार अपना कार्ड अवश्य वापिस लें।
- कभी भी फोन पर अपना कार्ड नंबर न बताएं।
- बिक्री रसीद पर हस्ताक्षर करने से पहले हमेशा लेनदेन की राशि की जांच करें।
- हमेशा बिक्री वाउचरों की जांच करें जिससे यह सत्यापित हो सके कि रसीद की ग्राहक वाली कॉपी पर उल्लिखित राशि वही है जो दुकानदार की कॉपी में दी गई है।
- कार्ड को अपनी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में न छोड़ें।
- हमेशा अपने पिन और लेनदेन राशि की सुरक्षा करें और यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत अपने लेनदेन को रद्द कर दें और वहां से चले जाएं।
- एटीएम से लेनदेन पूरा करने के बाद अपना कार्ड और लेनदेन रिकार्ड लेना न भूलें - अपनी रसीद को छोड़ कर न जाएं । अपने मासिक विवरण से इसका मिलान करें।
- एटीएम में खड़ा होकर अपना नकदी न गिनें - तुरंत अपना नकदी, कार्ड और रसीद अंदर रखें।
- यह जरूर ध्यान रखें कि आपके बाद एटीएम का उपयोग करने की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति आपके पिन या आप द्वारा डाली जा रही लेनदेन की राशि न देख पाए।
- यदि एटीएम मशीन से आपका कार्ड नहीं निकल रहा है तो सहायता के लिए आगे आने वाले व्यक्ति को दूर रखें चाहे वह दिखने में बैंक सुरक्षा अधिकारी ही क्यों न लगे। अंजान व्यक्तियों से सहायता न लें।
- यदि आपको अपना डेबिट कार्ड खोए जाने की आशंका हो तो कृपया तुरंत हमारे रात-दिन चालू ग्राहक सेवा केन्द्र में संपर्क करें।

अगर आपके मन में कोई प्रश्न हों तो कृपया हमारे २४-घंटे ग्राहक सम्पर्क केंद्र पर कॉल करें। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी।

अन्तर्देशीय धन प्रेषण

डिमांड ड्राफ़्ट(डीडी)

डिमांड ड्राफ़्ट : ऐसा अनुदेश लिखत होता है जिसे धन का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भुगतान करने के लिए एक बेचनीय लिखत या लिखित आदेश होता है। बैंक अपनी ही शाखाओं में देय, बैंक की संपर्ककर्ता शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ़्ट जारी करता है। इसके अलावा, बैंक, संपर्ककर्ता बैंक शाखाओं को छोड़कर अन्य शाखाओं के नाम आहरित ड्राफ़्टों के लिए स्थानीय बैंक शाखाओं के साथ ड्राफ़्ट आहरण व्यवस्था के माध्यम से ड्राफ़्ट जारी करने की व्यवस्था करता हैं।

डिमाण्ड ड्राफ़्ट जारी करने के प्रभार, प्रभारों की सामान्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH)

राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) को आरंभ और लागू करने का मूल उद्देश्य अंतर-बैंक लेनदेन के अपार बोझ को कम करना रहा है जिसमें उच्च दर पर कम मूल्य के लेनदेन शामिल हो सकते हैं। ऐसे कम मूल्य के लेनदेन अधिकतर आवर्ती प्रकृति के होते हैं। NPCI सेवा के माध्यम से, NACH ऐसे लेनदेन की प्रक्रिया को शीघ्र और सुविधाजनक बनाता है। इसके लिए पंजीकरण की एक आसान प्रक्रिया है, यह दिन भर में एक से अधिक सत्रों तथा मानकीकृत मैन्डेट फॉर्म और मैन्डेट प्रबंधन प्रणाली की सुविधा देता है।

NACH के अंतर्गत ग्राहक को अपने बैंक को ECS/NACH क्लीयरिंग के माध्यम से प्रस्तुतकर्ता बैंक से प्राप्त डेबिट को स्वीकार करने के लिए मैन्डेट/प्राधिकार प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके खाते से डेबिट करने के लिए अधिदेश ग्राहक द्वारा ऋणदाता/सेवा प्रदाता की ओर से पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)

आरटीजीएस धन अन्तरण प्रणाली है जिसमें ''रीयल टाइम'' और ''ग्रॉस'' आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में धन अंतरण होता है। यह बैंकिंग चैनल से सबसे तेज संभव धन अन्तरण प्रणाली है। ''रीयल टाइम'' में निपटान से अभिप्राय भुगतान लेनदेन में कोई प्रतीक्षा समय न होने से है। जैसे ही लेनदेन की प्रक्रिया शुरू की जाती है इसी समय लेनदेन पूरा हो जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि वह लेनदेन अकेले ही कर दिया जाता है और इसके साथ किसी और लेनदेन को शामिल नहीं किया जाता है। यह देखते हुए कि धन अन्तरण, भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में होता है, इसलिए ऐसा भुगतान अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होता है। आरटीजीएस के माध्यम से ग्राहक किसी भी सहभागी बैंक शाखा को २ लाख रुपये और इससे अधिक की धनराशि का अन्तरण कर सकता है।

ग्राहक के खातों की गोपनीयता

बैंक, ग्राहक की विशिष्ट या अन्तर्निहित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को ग्राहक के खाते का ब्यौरा / विवरण नहीं देगा। लेकिन, इसके कुछ अपवाद हैं जैसे कानून की अपेक्षा के तहत सूचना का प्रकटीकरण, जहां बैंक के हित में ऐसा प्रकटीकरण अपेक्षित हो।

मृतक के जमा खाता में देयताओं का भुगतान

- यदि जमाकर्ता ने बैंक में नामांकन पंजीकृत किया है; - मृतक जमाकर्ता के खाते में शेष बकाया, नामिती की पहचान आदि के बारे में बैंक की सन्तुष्टि होने के बाद नामिती के खाते में अन्तरित कर दी जाएगी / इसे इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- संयुक्त खाते के मामले, जिसमें बैंक में नामांकन पंजीकृत है, में भी उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- संयुक्त जमा खाते में, यदि संयुक्त खाता धारकों में से एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों तथा उत्तरजीवी जमाकर्ता / जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से भुगतान किया जाना होता है। लेकिन, यदि संयुक्त खाता धारकों ने खाते में शेष के भुगतान ''दोनों में से कोई भी'' या उत्तरजीवी, पहले नाम वाला / बाद के नाम वाला या उत्तरजीवी, उत्तरजीवियों में से कोई भी या उत्तरजीवी आदि जैसे रूपों में अधिदेश दिया है तो, दिए गए अधिदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा ताकि मृतक के वारिसों द्वारा कानूनी कागज़ात प्रस्तुत करने में विलंब से बचा जा सके।
- जब नामांकन न किया गया हो और बैंक को कोई उचित शंका न हो या दावेदारों के बीच कोई विवाद न हो तो बैंक, बैंक बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित सीमा तक कानूनी दस्तावेज़ों की अनिवार्यता मांग न करते हुए कानूनी वारिसों की ओर से

भुगतान प्राप्त करने के लिए इन सभी वारिसों द्वारा या इनके द्वारा अधिदेशित व्यक्ति द्वारा संयुक्त आवेदन देने और क्षतिपूर्ति भरने पर मृतक व्यक्ति के खाते में बकाया राशि का भुगतान करेगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जमाकर्ताओं को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में विलंबों के कारण कोई परेशानी न हो।

मृतक के खाते में फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर देय ब्याज़

जमा राशि की परिपक्वता की तिथि से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में और जमा का दावा परिपक्वता की तिथि के बाद किए जाने पर, बैंक परिपक्वता की तिथि तक संविदागत दर पर ब्याज़ का भुगतान करेगा । परिपक्वता की तिथि से भुगतान की तिथि तक, बैंक इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार इस अवधि के लिए परिपक्वता की तिथि को प्रचलित लागू दर पर साधारण ब्याज़ का भुगतान करेगा जब तक जमा राशि, परिपक्वता की तिथि के बाद बैंक में रही।

लेकिन, जमा राशि की परिपक्वता की तिथि के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, बैंक, परिपक्वता की तिथि से भुगतान की तिथि तक परिपक्वता की तिथि को प्रचालित बचत जमा दर से ब्याज़ का भुगतान करेगा।

जमा राशि के लिए बीमा सुरक्षा

बैंक जमा राशियों पर भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा चलाई गई बीमा स्कीम के अन्तर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त है, परन्तु इस पर डीआईसीजीसी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कुछ विशेष सीमाएं और शर्तें लागू हैं।

- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और आंचलिक ग्रामीण बैंक, भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बीमाकृत हैं।
- डीआईसीजीसी बचत, सावधि, चालू आदि जैसी सभी जमा राशियों का बीमा करता है।
- किसी बैंक की अलग-अलग शाखाओं में रखी गई जमा राशियों को, जमाकर्ता द्वारा इसी अधिकार और इसी हैसीयत, जो बैंक के लाइसेंस के परिसमापन / निरस्तीकरण की तिथि को या इस तिथि, जिस दिन समामेलन / विलय / पुनर्निर्माण की स्कीम प्रवृत्त हो, को अधिकार और हैसीयत से धारित मूल और ब्याज़, दोनों की राशि का कुल योग अधिकतम ५,००,००० रुपये से (केवल पाँच लाख रूपए) तक रखा जाता है।
- डीआईसीजीसी अधिकतम ५ लाख रुपये तक की राशि तक मूलधन और ब्याज़ का बीमा करता है । उदाहरण के लिए यदि किसी का ४,९५,००० रुपये मूलधन तथा ४०००/- रुपये के अर्जित ब्याज़ का खाता है तो डीआईसीजीसी द्वारा किए गए बीमे की कुल राशि ४,९९०००/- रुपये होगी। लेकिन, यदि इस खाते में मूलधन ५ लाख रुपये था तो अर्जित ब्याज़ का बीमा नहीं किया जाएगा, ऐसा इसलिए नहीं है कि यह ब्याज़ था, बल्कि इसलिए कि वह राशि ५ लाख रुपये की बीमा राशि से अधिक थी।
- एक ही बैंक में एक ही तरह के स्वामित्व में रखी गई धन राशियों को, जमा बीमा का निर्धारण किए जाने से पहले एक साथ जोड़ दिया जाता है। यदि धन राशियां अलग-अलग तरह के स्वामित्व में है या अलग-अलग बैंकों में जमा की गई हैं तो इनका अलग-अलग बीमा किया जाएगा। यदि एक से अधिक बैंकों में आपकी जमा राशियां हैं तो प्रत्येक बैंक में जमा राशियों की जमा बीमा सुरक्षा सीमा अलग-अलग होगी।
- यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक की एक से अधिक शाखाओं में एक से अधिक जमा खाता खोलता है उदाहरण के लिए श्री एक्स एक या एक से अधिक बचत / या चालू खाता और एक या एक से अधिक सावधि /आवर्ती जमा खाते आदि खोलता है इन सभी खातों को इसी हैसीयत में और इसी अधिकार में धारित खाते माना जाता है। इसलिए, इन सभी खातों की शेष राशियों को मिला दिया जाता है और अधिकतम ५ लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा दी जाती है। यदि श्री ऐक्स किसी फ़र्म के साझेदार या अवस्यक के अभिभावक या किसी कंपनी के डायरेक्टर या किसी न्यास के न्यासी की अपनी हैसीयत से अन्य जमा खाता खोलता है या अपनी पत्नी श्रीमती वाई के साथ मिलकर बैंक की एक या एक से अधिक शाखा में संयुक्त खाता भी खोलता है तो ऐसे खातों को अलग-अलग हैसीयत में और अलग-अलग अधिकार में रखे गए खाते माना जाता है। तदनुसार ऐसे जमा खातों को भी अलग से ५ लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी।
- स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम में धारित जमा जिसमें एक जमाकर्ता एकल स्वामी है तो उसकी व्यक्तिगत क्षमता में धारित जमा की राशि जोड़ दी जाती है और इस पर अधिकतम ५ लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा दी जाती है।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए www.dicgc.org.in देखें।

निष्क्रिय खाते

जिन खातों में लगातार २४ महीनों तक कोई भी 'ग्राहक प्रेरित' लेनदेन (क्रेडिट ब्याज, डेबिट ब्याज जैसे सिस्टम-जनित लेनदेन को छोड़कर) नहीं किया गया है, उन्हें निष्क्रिय खाते के रूप में चिति कर दिया जाएगा। केवल ग्राहक के अनुरोध, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण और नवीनतम फोटो के आधार पर ही ऐसे खाते की स्थिति निष्क्रिय से सक्रिय में बदली जाएगी। जब तक खाता निष्क्रिय रहेगा तब तक बैंक द्वारा एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग इत्यादि जैसे 'सुविधा बैंकिंग चैनलों' के माध्यम से लेनदेन की अनुमति प्राप्त नहीं होगी।

सुरक्षित जमा लॉकर

यह सुविधा बैंक की चुनिंदा शाखाओं में दी गई हैं और जहां यह सुविधा दी गई है वहां सुरक्षित जमा कक्ष का आबंटन, लॉकर उपलब्ध होने तथा इस सेवा से जुड़े निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने पर किया जाएगा। सेफ डिपॉजिट लॉकर किसी व्यक्ति (बशर्ते कि वह अवयस्क न हो) द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति(यों) के साथ संयुक्त रूप से, और गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं जैसे कि एचयूएफ, फर्म, लिमिटेड कम्पनियों, संघ, सोसाइटी, ट्रस्ट इत्यादि द्वारा भी किराए पर लिए जा सकते हैं। लॉकर रखने वाले व्यक्ति(यों) के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन के बिना, लेकिन प्रमाणित वसीयत होने पर, एकल लॉकर-धारक की मृत्यु होने की स्थिति में, निष्पादक/प्रशासक को एक्सेस प्रदान किया जाएगा।

शिकायत

यदि किसी ग्राहक को बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत है तो इसे, ग्राहक को शिकायत का निपटान करने के लिए बैंक द्वारा नामित प्राधिकारी (प्राधिकारियों) के पास जाने का अधिकार होगा। शिकायतों के निपटान का विवरण एवं तन्त्र शाखा परिसर में और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। शाखा अधिकारी, शिकायत दर्ज़ करने की प्रक्रिया संबंधी सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे । यदि ग्राहक को शिकायत करने की तिथि से ३० दिन के भीत्तर बैंक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंक ओम्बड्समैन के पास जाने का अधिकार होगा।

चेक ड्रॉप बॉक्स और चेकों की पावती

बैंक के काउंटरों पर जमा किए जाने हेतु प्रस्तुत सभी चेकों के संबंध में डॉप बॉक्स सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद ग्राहकों द्वारा कभी भी चेकों की पावती मांगे जाने पर उन्हें पावती दी जाएगी।

डू नॉट कॉल रजिस्ट्री

बैंक अपने ग्राहकों को अपने नवीनतम उत्पादों और सेवाओं की सूचना भेजता है । हम यह सूचना पत्र, ई-मेल या फोन से और केवल उन्हीं ग्राहकों को भेजते हैं जिनके बारे मे हम यह सोचते हैं कि ये उत्पाद और सेवाएं इनके लिए आकर्षक और लाभप्रद होंगी।

हम आपकी गोपनीयता का पूरा आदर करते हैं और यह मानते हैं कि शायद आप में से कुछ ग्राहक हमारे टेलीमार्किटिंग क्रियाकलापों के लिए फोन कॉल / ई-मेल / एसएमएस प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। यदि आप नहीं चाहते कि आपको ऐसा कोई संदेश आए तो आप हमारी वेबसाइट पर डू नॉट कॉल सेवा पंजीकरण सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और इन नंबरों को रजिस्टर करवा सकते हैं जिन्हें आप हमारे टेली मार्केटिंग सूची से हटवाना चाहते हैं। अपने नंबर / नंबरों को रजिस्टर करवाने के लिए आप जो ब्यौरे देंगे उन्हें हम गोपनीय रखेंगे।

नंबर रजिस्टर करवाने के बाद :

- हम यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको बैंक से रजिस्टर किए गए नंबरों पर कोई भी आवांछित मार्केटिंग कॉल नहीं आती है।
- कृपया हमारी टेलीमार्किटिंग सूचियों से विनिर्दिष्ट नम्बर हटाने के लिए हमे १५ कार्य दिवसों का समय दें।

डिपॉज़िटरी प्रतिभागी सेवाएं

देखें: Kotak.bank.in पर मौजूद निवेशक अधिकारपत्र – निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) -> ग्राहक सेवा -> महत्वपूर्ण सूचना -> निवेशक अधिकारपत्र – निक्षेपागार सहभागी जिसमें डीमैट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई है।

कॉपीराइट कोटक महिन्द्रा ग्रुप। सभी अधिकार सुरक्षित।